राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ 2 (ग) (च.वे.मा.)/79–III/अलेसे–I/4090-91 दिनांक :– 12.03.2013

कार्यालय आदेश संख्या 305/2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/ रूल्स/ 2008/ दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री भंवर सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी जिनकी जन्मतिथि 15.12.1956 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर दिनांक 21.10.1980 को कार्यग्रहण किया था। इन्हें द्वित्तीय चयनित वेतनमान वर्ष 1992–93 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टी होने के कारण 21.10.1999 से स्वीकृत किया गया था। अतः इन्हें तृत्तीय एसीपी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 31.12.2009 के पैरा 11 के अनुसार दिनांक 21.10.2008 को देय होती है, परन्तु पिछले 7 वर्षों में वर्ष 2001–02 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टी होने के कारण इन्हें तृतीय एसीपी 21.10.2008 के स्थान पर 21.10.2009 से कनिष्ठ लेखाकार पद का तृत्तीय एसीपी वेतनमान पै बेण्ड 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4800/– मे स्वीकृत किया जाता है।

श्री भंवर सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

श्री भंवर सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी एसीपी स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे ग्रेड 4200/– मे वेतन प्राप्त कर रहे है।

निदेशक

क्रमांकः– एफ 2 (ग) (च.वे.मा.)/79–III/अलेसे–I/4090-91 दिनांक :– 12.03.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त अजमेर।
2. श्री भंवर सिंह शेखावत, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय–जल संसाधन वृत्त अजमेर।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)